

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/307/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\* \* \*

जोध ब्लाक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 26/04/2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त,  
लोक सूचना अधिकारी,  
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट,  
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राजपाल राणा द्वारा मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 23.3.2013 के उक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 15.04.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है। चूंकि उक्त आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, इसलिए इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

भवदीया,

ए/ए सुधा  
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
अवर सचिव (डी पी-11)

दूरभाष : 23092856

ISSUED WITHIN  
1200  
2/5

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि प्रेषित :-

श्री राजपाल राणा, राजीव दीक्षित भवना, पतंजलि योगपीठ-11, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट  
बहादुरसाहब, हरिद्वार-249405 (उत्तराखण्ड)। इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी  
का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई  
दिल्ली है।



# भारत स्वाभिमान (न्यास)

विधि-विभाग

मुख्यालय : राजीव दीक्षित भवन, पतंजलि योगपीठ-II,  
महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बहादुराबाद, हरिद्वार-249405 (उत्तराखण्ड)

पत्र संख्या : 723 वि.वि./भा.स्वा.


दिनांक : 23.03.2013

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005,

अन्तर्गत धारा-6(1),

सूचना अभिप्राप्ति हेतु आवेदन

स्पीड पर्स



2284/RIZ/2013  
11/4/13


जनसूचना अधिकारी/गृह सचिव

नॉर्थ ब्लॉक (गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

नई दिल्ली-110001

कृपया निम्नवत बिन्दुओं पर सूचना प्रदान करें।

1. नई दिल्ली स्थिति रामलीला मैदान व वोट क्लब मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन की स्वीकृति हेतु, केन्द्र सरकार/दिल्ली सरकार द्वारा अध्यापित नियम, गजट नोटिफिकेशन या गाईड लाइन की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराये।
2. विगत आठ महीनों में इन स्थलों पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया की पृथक-पृथक अभिलेखीय सूचना निम्नानुसार प्रदान करें।
  - (क) आयोजक संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र व दिनांक।
  - (ख) आवेदकों व दिल्ली पुलिस प्रशासन के बीच तत्सम्बन्धी बैठकों का ब्यौरा।
  - (ग) स्वीकृति प्रदान करने का दिनांक, तथा
  - (घ) इस प्रक्रिया में अधिकतम कितना समय लगा ब्यौरा उपलब्ध कराये।

  
(राजपाल राणा)

विधि विभाग

सूचना शुल्क- अंकन 10 रुपये का आई.पी.ओ.

संख्या 06F 713359

हिन्दी का प्रयोग करें, यह बहुत सरल है।

BST(legal cell)